रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 15, 2001/आश्विन 23, 1923

No. 279] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 15, 2001/ASVINA 23, 1923

CENTRAL LIBRARY

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

नए शिपर समीक्षा की शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2001

विषय : मै. पेपरफैब्रिक अगस्त कोहलर ए जी, जर्मनी के अनुरोध पर थर्मल सेन्सटिव पेपर के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की नए शिपर समीक्षा को शुरू करना

सं. 38/1/2001-डी जी ए डी.— मै0 पेपरफैब्रिक अगस्त कोहलर ए जी, जर्मनी ने 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन, संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियम 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची 1 के अध्याय 48 के अंतर्गत आने वाले जर्मनी से थर्मल सेन्सटिव पेपर (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है) के सभी निर्यातों पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सिफारिश किए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा का अनुरोध किया गया है । प्राधिकारी ने दिनांक 18 अगस्त 1999 की अधिसूचना संख्या 25/1/98-एडीडी के तहत प्रारंभिक निष्कर्षों को और दिनांक 3 मार्च 2000 की अधिसूचना के द्वारा अन्तिम निष्कर्षों को अधिसूचित किया था । केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभिक निष्कर्षों से संबंधित दिनांक 11 अक्तूबर 1999 की अधिसूचना संख्या 115/99-सीमाशुल्क और अन्तिम निष्कर्षों से संबंधित दिनांक 6 अप्रैल 2000 की अधिसूचना संख्या 39/2000-सी.शु. के अनुसार पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था । सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (सीगेट) के आदेशों के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने दिनांक 26 दिसम्बर, 2000 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं.156/2000 के द्वारा संबद्ध वस्तु पर अमरीकी डालर में पाटनरोधी शुल्क लगाया था ।

शामिल निर्यातक

2. वर्त्तमान जांच मै0 पेपरफैब्रिक अगस्त कोहलर ए जी, जर्ममी (जिसे इसके बाद याचिकाकर्ता भी कहा गया है) द्वारा भारत को थर्मल सेन्सटिव पेपर के निर्यातों से संबंधित है ।

नए निर्यातक के संबंध में समीक्षा की शुरूआत

3. सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में प्राधिकारी के लिए संबद्ध निर्यातक देश के ऐसे किसी निर्यातक अथवा उत्पादक के लिए अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ समीक्षा करना अपेक्षित है, जिसने पाटनरोधी जांच की जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया है । याचिकाकर्ता ने पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जिससे उपरोक्त नियमों के नियम 22 के अंतर्गत निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं और उसने अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण करने का अनुरोध किया है ।

4. प्राधिकारी इस बात से सन्तुष्ट होने के बाद कि मै0 पेपरफैब्रिक अगस्त कोहलर ए जी, जर्मनी द्वारा थर्मल सेन्सटिव पेपर के निर्यातो पर पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने की जरूरत है इस बात पर विचार करते हैं कि दिनांक 3 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 25/1/98-एडीडी के तहत प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा मै0 पेपरफैब्रिक अगस्त कोहलर ए जी, जर्मनी के संबंध में किए जाने की जरूरत है ।

5. मै0 पेपरफैब्रिक अगस्त कोहलर ए जी, जर्मनी के बारे में दिनांक 3 मार्च,2000 की अधिसूचना संख्या 25/1/98-एडीडी के तहत अधिसूचित अन्तिम निष्कर्षों की समीक्षा करने का निर्णय लेने के बाद प्राधिकारी एतदद्वारा उपरोक्त नियमों के अनुसार मै0 पेपरफैब्रिक अगस्त कोहलर ए जी, जर्मनी के संबंध में अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु जांच शुरू करते हैं ।

6. प्राधिकारी इस समीक्षा के पूरा होने तक उपरोक्त नियमों के नियम 22 के अनुसार 0.04390/वर्ग मी. की दर से पाटनरोधी शुल्क लगाते हुए मै0 पेपरफैब्रिक अगस्त कोहलर एजी, जर्मनी द्वारा संबद्ध वस्तु के किए गए सभी निर्यातों के अंनतिम निर्धारण की सिफारिश करते हैं ।

जांच की अवधि

7. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 नवम्बर,2001 से 30 अप्रैल,2002 तक की है ।

सूचना प्रस्तुत करना

8. संबंधित समझे जाने वाले निर्यातकों और आयातकों तथा घरेलू उद्योग को अलग से सूचित किया जा रहा है कि वे निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय, वाणिज्य

विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करें तथा अपने विचारों से अवगत कराए कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित तरीके से नीचे दी गई समय सीमा के भीतर उक्त प्राधिकारी को जांच से संबंधित अनुरोध कर सकती है ।

समय सीमा

9. इस समीक्षा से संबंधित समस्त सूचना लिखित में भेजी जाए जो जांच अवधि के पूरा होने की तारीख से 30 दिनों से पहले उपरोक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुंच जानी चाहिए । यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी पाई जाती है तो प्राधिकारी उपरोक्त नियमों के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को दर्ज कर सकता है ।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

10. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं ।

11. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा महत्वपूर्ण ढंग से जांच में बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है ।

एल.वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NEW SHIPPER REVIEW INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2001

Subject : Initiation of New Shipper Review of Anti-Dumping duty imposed on Thermal Sensitive Paper imports requested by M/s. Papierfabrik August Koehler Ag, Germany.

No. 38/1/2001-DGAD:— M/s. Papierfabrik August Koehler Ag, Germany has filed a petition in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) requesting review of the anti-dumping duty recommended by the Designated Authority on all exports of Thermal Sensitive Paper (hereinafter referred to as subject goods) from Germany

falling under Chapter 48 of Schedule 1 of Customs Tariff Act. The Authority had notified the preliminary findings vide Notification No.25/1/98/ADD dated 18th August, 1999 and final findings vide Notification dated 3rd March, 2000. Anti-dumping duty were imposed by the Central Government on the preliminary findings vide Notification No. 115/99-Customs dated 11th October, 1999 and in respect of the final findings vide Notification No. 39/2000-CUS dated 6th April, 2000. In pursuance to the orders of the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal (CEGAT), the Central Government had imposed anti-dumping duty on subject goods in US$ vide Customs Notification No. 156/2000 dated 26th December, 2000.

EXPORTER INVOLVED:

2. The present investigations relate to exports of Thermal Sensitive Paper by M/s. Papierfabrik August Koehler Ag, Germany (hereinafter also referred to as the Petitioner) to India.

INITIATION OF REVIEW IN RESPECT OF NEW EXPORTER:

3. The Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Rules made thereunder require the Authority to review for the purpose of determining individual margin of dumping for any exporter or producer in the exporting country in question who has not exported to India the subject goods during the investigation period of the anti-dumping investigation. The petitioner has furnished sufficient prima facie evidence that it satisfies the conditions prescribed under Rule 22 of the Rules supra and has requested for determination of separate dumping margin.

4. The Authority having been satisfied that there is a need for review of anti-dumping duty on exports of Thermal Sensitive Paper by M/s. Papierfabrik August Koehler Ag, Germany, considers that the anti-dumping duty imposed by the Central Government in pursuance to the recommendations made by the Authority vide Notification No. No.25/1/98/ADD dated 3rd March, 2000, needs to be reviewed with regard to M/s. Papierfabrik August Koehler Ag, Germany.

5. Having decided to review the final findings notified vide Notification No. No.25/1/98/ADD dated 3rd March, 2000 with regard to M/s. Papierfabrik August Koehler Ag, Germany, the Authority hereby initiates investigations to determine separate dumping margin in respect of M/s. Papierfabrik August Koehler Ag, Germany in accordance with the Rules supra.

6. The Authority recommends provisional assessment of all exports made by M/s. Papierfabrik August Koehler Ag, Germany of subject goods, till this review is completed, levying anti-dumping duty @ US$ 0.04390 /sq. mtr. in accordance with Rule 22 of the Rules supra.

PERIOD OF INVESTIGATION:

7. The period of investigation for the purpose of the present review is 1st November, 2001 to 30th April, 2002.

SUBMISSION OF INFORMATION

8. The exporters and importers known to be concerned and domestic industry are being informed separately to enable them to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Udyog Bhavan, New Delhi-110011. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation to the above Authority in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

TIME LIMIT

9. All information relating to this review should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than thirty days from the date of completion of investigation period. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

INSPECTION OF PUBLIC FILE

10. In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

11. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L.V. SAPTHARISHI, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.